□□□□□□□□ □□□□□□□ □ □□□□□□

खंडवा/नई दलिली□ सुप्रीम कोर्ट ने महलिाओं को सुरक्षा देने के लि□ सहजीवन संबंध को शादी की तरह के रशि्ते में लाने और इस तरह उसे घरेलू हसिा वरिोधी कानून के तहत लाने के लि□ कुछ दशिा-नरि्देश दि□ हैं□ सुप्रीम कोर्ट ने सहजीवन में रहने वाले □क दंपत कि बीच के ववािद का नपिटारा करते हु□ यह आदेश पारति कयिा□ इस मामले में महलिा ने रशि्ता खत्म होने के बाद पुरुष से गुजारे भत्ते की मांग की थी□ गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में लोक अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के पहले आ□ नरि्देशों को ध्यान में रखते हु□ अपने तरह का अनोखा फैसला भी सुना दयिा है□ खंडवा की लोक अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पत और पत्नी के साथ अब सहजीवन की साथी महलिा भी रहेगी□ लोक अदालत में पछिले शनविार आ□ इस फैसले के तहत धार्मकि नगरी ओंकारेश्वर के मांधाता नविासी पत बिसंत माहूलाल और पत्नी शांत कि साथ बसंत के साथ पछिले दस साल से सहजीवन (लवि इन रलिेशनशपि) में रह रही रामकुमारी भी □क ही घर में रहेंगी□

लोक अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के सहजीवन को मान्यता देने के मद्देनजर यह फैसला दयिा है□ उसे अपने जीवनसाथी के मकान, खेत व जमीन में आधा हसि्सा भी मलिेगा□ इस फैसले में सबसे अनोखी बात तो यह है कि □क कमरे में पत रिहेगा, जो घर के बीच में है□ वहीं, उसके दूसरी ओर के □क कमरे में पत्नी और दूसरे कमरे में सहजीवन की साथी रहेगी□ पत कि कमरे का दरवाजा दोनों कमरों में खुलेगा और पत का कमरा दोनों की ओर पंद्रह-पंद्रह दनि के लि□ खुलेगा□

खंडवा में हुई लोक अदालत ने समझौते के आधार पर मकान, खेत और पत को भी दोनों के बीच बराबर के हक के साथ बांट दयिा है□ पत्नी शांत ने दो साल पहले अपने पत बिसंत माहूलाल की अदालत में शकिायत की थी कि उसने लगभग दस साल से उसके अलावा □क दूसरी महलिा रामकुमारी से सहजीवन का रशि्ता कायम कयिा है और उसे घर में ही रख लयिा है□ मामला परविार परामर्श केंद्र में भी गया, लेकनि वहां कोई हल नहीं नकिल सका□ लोक अदालत के वशिेष न्यायाधीश गंगाचरण दुबे ने इसकी जांच कराई□

जांच रपिोर्ट में घरेलू हसिा होना पाया गया□ तब पत बिसंत और सहजीवन साथी रामकुमारी को नोटसि जारी हुआ□ महलिा का पत बिजिली वभिाग में लाइनमैन है□ उसने लोक अदालत में कहा कि सहजीवन अदालत की नजर में भी पाप नहीं है□ इसलि□ हमारी शर्तों पर भी ध्यान दयिा जा□□ लोक अदालत के वशिेष न्यायाधीश गंगाचरण दुबे ने तीनों पक्षों की आपसी सहमत कि बाद यह समझौता कराया□

सुप्रीम कोर्ट ने सहजीवन संबंधों के बारे में जो दशिा-नरि्देश तय कि□ हैं उनमें संबंध की अवधि, □क ही घर में रहना और वति्तीय संसाधनों में सहभागति सहति कई अन्य मुद्दे शामलि हैं□ न्यायमूर्त कि□स राधाकृष्णन और न्यायमूर्त पिनिाकी चंद्र घोष की पीठ ने कहा कि हालांकि इस मामले में हमारे दि□ आठ दशिा-नरि्देश ही पर्याप्त नहीं हैं, लेकनि इनसे ऐसे रशि्तों को तय करने के मामले में कुछ हद तक मदद जरूर मलि सकेगी□